MADHYA PRADESH ACT

No 22 OF 2006.

THE MADHYA PRADESH KRISHIK PASHU PARIRAKSHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

[Received the assent of the Governor on the 31st August, 2006; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 12th September, 2006.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishik Pashu Parirakshan Adhiniyam, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Krishik Pashu Parirakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Krishik Pashu Parirakshan Adhiniyam, 1959 (No.18 of 1959) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter any agricultural cattle unless he has obtained in respect of such cattle a certificate in writing, issued by the competent authority for the area in which the cattle is to be slaughtered, that the cattle is fit for slaughter.";

(ii) in sub-section (2) and (5) the words, bracket and letter "clause (b) of" shall be omitted.

Amendment of Schedule.

3. For the Schedule of the Principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

[*See* Section 2(i)]

1. Male and female buffalo.
2. Calf of she-buffalo.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २००६.

मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २००६.

[दिनांक ३१ अगस्त, २००६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ सितम्बर, २००६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २००६ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, १९५९ (क्रमांक १८ सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, किसी कृषिक पशु का तब तक वध नहीं करेगा या वध नहीं करवाएगा या वध किये जाने के लिये उसे प्रस्थापित नहीं करेगा या प्रस्थापित नहीं करवाएगा, जब तक कि उसने ऐसे पशु के संबंध में उस क्षेत्र के, जिसमें उस पशु का वध किया जाना हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो कि वह पशु वध किये जाने योग्य है.";

(दो) उपधारा (२) और (५) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "के खण्ड (ख)" का लोप किया जाए.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"अनुसूची

[धारा २ (एक) देखिए]

(१) नर और मादा भैंसे.

(२) [illegible]."

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पंत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर 2006—भाद्र 21, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2006

क्र. 5319-310-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 31 अगस्त 2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

DIRECTORATE OF VETERINARY ANIMAL HUSBANDRY FISHERIES MADHYA PRADESH

No. 3894/ (Vety) Rewa Dated the 1th February 1960.

O R D E R.

Under Section 3 of the M.P. Agricultural Cattle Preservation Act. 1959 (No. 18 of 1959) all the Veterinary Assistant Surgeons/Sub Veterinary Assistant Surheon/ Veterinary Supervisors (Two years course and livestock supervisors (Two years course) are appointed as Veterinary Officers for the respective local areas for the purpose of this Act.

sd/- G.C.Juneja
Director of Vety.& A.H.Services
Madhya Pradesh.

No. 3895-904 (Vety) Rewa dated the 1th February 1960.

Copy forwarded to all the Divisional Dy. Director of Vety. Services Rewa/Jabalpur/Raipur/Bilaspur/Bhopal/Indore/Gwalior alongwith a copy of M.P. Govt of Agriculture Department memo No. 189/259/XIV- Vety 59 dated 11-1-1960 with enclosed notifications for information and taking necessary action in the matter.

2. Copy forwarded to the Principal Veterinary Collage Mhow/Jabalpur for information.

3. Copy forwarded to the Secretary to Government Madhya Pradesh. Agriculture (Vety. Department for information with reference to his memo 189/591-XIV-59 dated 14th January 1960.

sd/- N.C.KAUSHASH
For Director of Veterinary &A.H.Services
Madhya Pradesh

DIRECTOR OF VETY. SERVICES
MADHYA PRADESH

No. 13195/82 Marketing/SH/77-79 Bhopal Dated 12 April 1978.

ORDER

In supersession of this office order memo No. 3894/ Vety. Rewa dated 4th Feb. 1960 Under section 3 of the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act. 1959 (No. 13 of 1959) all the Veterinary Assistant Surgeons (Veterinary Graduates Only) and Veterinary extension officers (Veterinary Graduates Only) are appointed as "Veterinary Off' for the respective local areas for the purpose of this Act.

sd/-

Director of Vety. Services
Madhya Pradehs

No. 13195-A /82/Markting/SH/77-78 Bhopal Dated 12 Aprial 1978.

Copy forwarded to:-

1. Dy. Director of Veterinary Services Division/I.C.D.P./S.F.D.A. S.F.A.P. . . . . (All)
2. Asstt. Director of Veterinary Services (Distt. Livestock/Key-Village) . . . . All
3. Principal V.F.A.Training Centre Shivpuri/Mahasamunda.
4. Prinaipal Veterinary Collage Mhow/ Jabalpur.
5. Collectors Distt. . . . . (all)
6. The +Secretary to Government of Madhya Pradesh Agriculture (Vety) Department Bhopal for information and necessary action with reference to this office memo No. 3894/Vety-Rewa. dated4-2-1960.

sd/-

Director of Vety. Services
Madhya Pradesh

6. For Section 6-C of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:— Substituted of Section 6-C.

"6-C. The State Government may issue special permits for transport or export of cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock if it is of the opinion that it will be in the publc interest to do so.". Special Permits.

7. In Section 7 of the Principal Act,— Amendment of Section 7.

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Prohibition of purchase, sale or any other manner of disposal of cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock";

(b) for the words "cows, calves of cows or calves of she-buffaloes", the words "cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock" shall be substituted.

8. In sub-section (3) of Section 9 of the Principal Act,— Amendment of Section 9.

(a) in clause (a), for the words "cows or calves of cows" the words "cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "cows or calves of cows" occurring twice and for the words "cows or calves of cows", the words "cow, calf of cow, calf of she-puffalo, bull or bullock" shall respectively be substituted.

9. In Section 17 of the Principal Act, the words "religious" shall be omitted. Amendment of Section 17.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1991

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९९१

मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, १९९१.

[दिनांक १७ सितम्बर, १९९१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २० सितम्बर, १९९१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, १९९१ है.

धारा ४ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, १९५९ (क्रमांक १८ सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी,

कोई व्यक्ति—

(क) गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल का वध नहीं करेगा या वध नहीं करवाएगा या वध किये जाने के लिये उसे प्रस्थापित नहीं करेगा या प्रस्थापित नहीं करवाएगा; तथा

(ख) अन्य किसी कृषिक-पशु का तब तक वध नहीं करेगा या वध नहीं करवाएगा या वध किए जाने के लिये उसे तब तक प्रस्थापित नहीं करेगा या प्रस्थापित नहीं करवाएगा जब तक कि उसने ऐसे पशु के संबंध में उस क्षेत्र के, जिसमें उस पशु का वध किया जाना हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो कि वह पशु वध किए जाने योग्य है.".

धारा ६ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "गाय या बछड़ा-बछिया से भिन्न कृषिक पशु" के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किए जाएं.

धारा ६-क का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ६-क में शब्द "गाय या बछड़ा-बछिया," के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किए जाएं.

धारा ६-ख का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में —

(क) उपधारा (१) में, —

(एक) शब्द "गायों या बछड़े-बछियों" के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द "गायों तथा बछड़े-बछियों" के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किए जाएं;

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555] भोपाल, शुक्रवार दिनांक 20 सितम्बर 1991—भाद्र 29, शके 1913

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 1991

क्र. 6770-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17 सितम्बर 1991 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९९१.

मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, १९९१.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ६ का संशोधन.
४. धारा ६-क का संशोधन.
५. धारा ६-ख का संशोधन.
६. धारा ६-ग का प्रतिस्थापन.
७. धारा ७ का संशोधन.
८. धारा ९ का संशोधन.
९. धारा १७ का संशोधन.

(तीन) शब्द "उन गायों या बछड़े-बछियों का, जिनके निर्यात के लिये अनुज्ञापत्र अपेक्षित है", के स्थान पर शब्द "उनका" स्थापित किया जाय ;

(ख) उपधारा (२) में दो बार आने वाले शब्द "गायों या बछड़े-बछियों" के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किये जाएं.

६. मूल अधिनियम की धारा ६-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात्:— धारा ६-ग का प्रतिस्थापन.

"६-ग. राज्य सरकार गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल के परिवहन या निर्यात के लिये विशेष अनुज्ञापत्र दे सकेगी यदि उसकी यह राय हो कि वैसा करना लोक हित में होगा." विशेष अनुज्ञापत्र.

७. मूल अधिनियम की धारा ७ में — धारा ७ का संशोधन.

(क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल के क्रय, विक्रय या व्ययन की किसी अन्य रीति का प्रतिषेध".

(ख) शब्द "गायों, बछड़ा-बछियों या पड़ा-पड़ियों" के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किये जायें.

८. मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (३) में — धारा ९ का संशोधन.

(क) खण्ड (क) में शब्द "गायों या बछड़े-बछियों" के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछियां, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किये जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में दो बार आने वाले शब्द "गायों या बछड़े-बछियों" तथा शब्द "गायें या बछड़े-बछियां" के स्थान पर शब्द "गाय, बछड़ा-बछिया, पड़ा-पड़िया, सांड या बैल" स्थापित किये जाएं.

९. मूल अधिनियम की धारा १७ में शब्द "धार्मिक" का लोप किया जाय. धारा १७ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 1991

क्र. 6770-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 21 सन् 1991) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 1991

THE MADHYA PRADESH KRISHIK PASHU PARIRAKSHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1991.

[Received the assent of the Governor on the 17th Septemper, 1991; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 20th September, 1991.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishik Pashu Parirakshan Adhiniyam, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishik Pashu Parirakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991.

Amendment of Section 4.

2. For sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishik Pashu Parirakshan Adhiniyam, 1959 (No. 18 of 1959) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered, for slaughter—

(a) cow, calf or cow, calf of she-buffalo, bull or bullock ; and

(b) any other agricultural cattle unless he has obtained in respect of such cattle a certificate in writing issued by the Competent Authority for the area in which the cattle is to be slaughtered that the cattle is fit for slaughter.".

Amendment of Section 6.

3. In Section 6 of the Principal Act, for the words "agricultural cattle other than cow or calf of cow" the words "cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock" shall be substituted.

Amendment of Section 6-A.

4. In Section 6-A of the Principal Act, for the words "cow or calf of cow" the words "cow, calf of a cow, calf of she-puffalo, bull or bullock" shall be substituted.

Amendment of Section 6-B.

5. In Section 6-B of the Principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "cow or calf of cow" the words "cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock" shall be substituted;

(ii) for the words "cows and calf of cows" the words "cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock" shall be substituted;

(iii) for the words "cows or calves of cows for which the permit for export is required" the word "it" shall be substituted;

(b) in sub-section (2) for the words "cows or calves of cows" occuring twice the words "cow, calf of cow, calf of she-buffalo, bull or bullock" shall be substituted.